सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत परिवारों की पहचान

128. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित से आधे मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने संबंधी हाल ही में घोषित योजना के अंतर्गत लाए जाने वाले परिवारों की पहचान करने हेतु क्या व्यवस्था है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत लाए जाने वाले परिवारों की राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) सरकार इस प्रयोजनार्थ प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय करेगी?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) संयुक्त जिम्मेदारी के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऊपर है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से स्वर्गीय प्रोफेसर लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बनाए गए तरीके को अपनाकर 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा निकाले गए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के अनन्तिम अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की पहचान करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं करनी होगी कि गरीबों की ठीक-ठीक पहचान की जाए और गरीबों में वितरण हेतु उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी पारदर्शी तरीके से की जाए।

विशेषज्ञ दल की संशोधित सिफारिशों के अनुसार 1993-94 के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) सरकार द्वारा किए गए व्यय की राशि समय-समय पर निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और राज्यों द्वारा उचित दर दुकान स्तर पर निर्धारित मूल्यों पर निर्भर होगी।

विवरण

विशेषज्ञ दल की संशोधित सिफारिशों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	विशेषज्ञ दल के तरीके को अपनाकर	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	153.97	22.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.73	39.35
3.	असम	96.36	40.86
4.	बिहार	493.35	54.96
5.	गोआ	1.91	14.92
6.	गुजरात	105.19	24.21
7.	हरियाणा	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.86	28.44
9.	जम्मू और कश्मीर	20.92	25.17
10.	कर्नाटक	156.46	33.16
11.	केरल	76.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	298.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	305.22	36.86
14.	मणिपुर	6.80	33.78
15.	मेघालय	7.58	37.92
16.	मिजोरम	1.94	25.66
17.	नागालैण्ड	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	160.60	48.56
19.	पंजाब	25.11	11.77
20.	राजस्थान	128.50	27.41
21.	सिक्किम	1.84	41.43
22.	तमिलनाडु	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	604.46	40.85
25.	पश्चिम बंगाल	254.56	35.66
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.06	34.47
27.	चण्डीगढ़	0.80	11.35
28.	दादरा और नगर हवेली	0.77	50.84
29.	दमन और दीव	0.18	15.80
30.	दिल्ली	15.51	14.69
31.	लक्षद्वीप	0.14	25.04
32.	पाण्डिचेरी	3.31	37.40
	अखिल भारत	**3203.68**	**35.97**